भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1957
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

परिचालित विद्युत परियोजनाएँ

1957. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में परिचालित विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में उनका योगदान क्या है;

(ख) बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान राज्य में पिछले दस वर्षों के दौरान विद्युत कवरेज की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने गाँवों और घरों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अन्य परिवारों को प्रदान किए गए विद्युत कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अन्य परिवारों को निःशुल्क या रियायती विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बाड़मेर, जैसलमेर बऔर बालोतरा जिलों में वंचित परिवारों के लिए अंतिम सर्वेक्षण कब किया गया था और लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(च) क्या इन जिलों में घरेलू कनेक्शनों के लिए कोई बजट आवंटित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित बस्तियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सुदूर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में**,** देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.81 गीगावाट है और 13.59 लाख एमवीए की रूपांतरण क्षमता वाली 4.95 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक) प्रचालनरत हैं।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों सहित उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनी की जिम्मेदारी है। हालांकि भारत सरकार विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने में राज्यों की मदद के उद्देश्य से उनके प्रयासों में सहायता कर रही है।

(ख) और (ग) : डीडीयूजीजेवाई के तहत, राजस्थान राज्य (बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) में कुल 427 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 1,49,854 परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान राज्य (बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) में सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 21,27,728 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के तहत सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण किया गया।

भारत सरकार चालू संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्य की सहायता कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत चिन्हित किए गए विशेष रूप से कमजोर सभी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिन्हित किए गए सभी जनजातीय परिवारों के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। इस स्कीम के तहत**,** राजस्थान राज्य के लिए 4,39,177 घरों के विद्युतीकरण के लिए 1,764 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है**,** जिनमें से अब तक 95,986 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) : विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सब्सिडी सहायता प्रदान करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्युतीकरण के लिए शेष घरों की पहचान के लिए अंतिम सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया था। इसके अलावा, लंबित आवेदनों की सूची एक परिवर्तनशील डेटा है जिसका रखरखाव संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा किया जाता है।

(च) : बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में विद्युतीकरण हेतु राज्य द्वारा चिन्हित लंबित घरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	जिला	प्रस्तावित घर (संख्या)	संस्वीकृत घर	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1	बाड़मेर	3593	71,864	186.37
2	बालोतरा	1219	18,999	132.57
3	जैसलमेर	5076	34,455	141.03

(छ) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि कार्य जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

जैसा कि ऊपर भाग (क) में सूचित किया गया है, भारत सरकार ने सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वितरण अवसंरचना कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, चूँकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरस्थ, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। जहाँ भी संशोधित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। अब तक, आरडीएसएस के तहत 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,486 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित घर भी शामिल हैं।

****